न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत निम्बी कंला

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2013/259 दायरा दिनांक 19.12.2013

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. बशीर खॉ पुत्र फरीद खॉ 2. मुमताज पुत्र फरीद खॉ 3. रमजानखॉ पुत्र फरीद खॉ समस्त जाति कायमखानी निवासी :–सरदारपुरा कंला तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. फरीदखॉ पुत्र नथूखॉ 1/1 केशरबानो पत्नि फरीदखॉ 1/2 सतारखॉ पुत्र फरीदखॉ 1/3 मुबारिकखॉ पुत्र फरीदखॉ 2. हुसैनखॉ पुत्र फरीद खॉ 3. शोकतखॉ पुत्र फरीद खॉ 4. मुबारिकखॉ पुत्र अस्तअलीखॉ 5. रमजानखॉ उर्फ खान मोहम्मद पुत्र अस्तअलीखॉ 6. सबीरखॉ पुत्र अस्तअलीखॉ 7. शेर मोहम्मद पुत्र अस्तअलीखॉ 8. अब्दुलकादर पुत्र अस्तअलीखॉ 9. मोहम्मद हारून पुत्र अस्तअलीखॉ 10. समतूबानो पत्नि अस्तअलीखॉ समस्त जाति कायमखानी निवासी :–सरदारपुरा कंला तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 11. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
दिलाने कब्जा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित–

1. वादी उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 19.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं खेत ख. न. 154 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा वाके सरदारपुरा कंला स्थित हैं, जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादी 01 व 02 प्रतिवादी नम्बर 02 व 03 व वादी नम्बर 03 के पिता अस्तअलीखॉ के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। नकल खतौनी वाद के साथ पेश है।तथा 1/3 हिस्सा कस्टोडियन महकमा की दर्ज है।

उक्त खेत की खातेदारी में सकुरन जोजे अजीतखॉ का भी नाम है।जिसका नाऔलाद ही इन्तकाल हो चुका है।जिसके वारिसान वादी नम्बर 01 ता 03 व प्रतिवादी संख्या 02 ता 10 ही है।इसलिए इसको

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पक्षकार नही बनाया गया है।तथा वादी संख्या 03 के पिता अस्तअलीखाँ का भी इन्तकाल हो चुका है।जिसके वारिसान वादी संख्या 03 व प्रतिवादी संख्या 04 ता 10 है।

उक्त खेत पर कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 02 ता 10 का चला आ रहा है तथा इनसे पहले इनके पिता अस्तअलीखाँ वगैरह का रहा हैं। तथा वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 02 ता 10 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त अबाध रूप से चला आ रहा हैं तथा हर वर्ष इस खेत के बाड करते आये है तथा काश्त करते रहे है।

उक्त भूमि गाँव की आबादी के चिपते ही आयी हुई है।तथा इसके दो साईड में सड़क (रास्ते) होने से वह किमती है।तथा प्रतिवादी नम्बर 01 का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है।लेकिन वह गाँव के चन्द लोगो के बहकावे में आया हुआ होने व स्वंय के मन में लालच आ जाने से वह उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने को आमदा है।तथा वर्ष 2009 में प्रतिवादी नम्बर 01 ने आमदा फिसाद हुआ और उक्त खेत में जबरन कब्जा करने की धमकी दी थी, जिसके कारण वादीगण को अजहद नुक्शान होने की सम्भावना हो गई थी।जिसके कारण वादी नम्बर 03 के पिता अस्तअलीखाँ ने प्रतिवादी नम्बर 01 फरीदखाँ के खिलाफ श्रीमान सहायक कलेक्टर डीडवाना के न्यायालय में एक दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा मय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना –पत्र पेश किया थां। जिस वाद की नकल साथ में पेश है।

हाल ही में प्रतिवादी नम्बर 01 ने अपने अन्य भाई लोगो को साथ लेकर उक्त खेत के तारबन्दी कर जबरन कब्जा कर गेहुँ की फसल कुछ हिस्से में आज से करीब 10 दिनो पूर्व कर ली जिस पर वादीगण ने गाँव के मुखियान के सामने ओलमा दिया तब उसने जल्दी ही कब्जा छोडने का आश्वासन दिया लेकिन अब वह कब्जा छोडने से मुकर गया है।जिसके कारण वादीगण के जायज अधिकार खतरे में पडं गये है तथा अजहद नुक्शान होने की संभावना बन गई है।वादीगण उक्त खेत खसरा नम्बर 154 रकबा 2.03 बीघा में अपने हिस्से का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने का कानूनन हकदार है।अतः वादीगण को दावा बाबत कब्जा जेर का करना लाजमी आया है।

वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी नम्बर 01 के खिलाफ इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की पैतृक भूमि में किसी प्रकार का दखल नही करे। इस बाबत उसे पाबंद किया जाना जरूरी है।अतः वादीगण को दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

उक्त भूमि का 1/3 हिस्सा महकमा कस्टोडियन दर्ज है तथा इस वाद में राज्य सरकार के खिलाफ कोई सहायता नही चाही है।फिर भी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

तहसीलदार डीडवाना को पक्षकार बनाया गया है।1/3 हिस्सा महकमा नरसोडियन यथावत रहेगा।

प्रार्थना वादी है कि

खेत ख. न. 154 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा वाके सरदारपुरा कंला में से 2/3 हिस्सा का भौतिक रूप से व वास्तविक रूप से कब्जा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 10 को प्रतिवादी नम्बर 01 से दिलाया जावे।

वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी नम्बर 01 के खिलाफ इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त व हिस्से की उक्त भूमि में किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करे न अन्य से करावे।

वदीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 16 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 18.03.2014 को प्रतिवादी संख्या 01 व 08 ता 11 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए प्रतिवादी संख्या 01 व 08 ता 11 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से एक पक्षिये कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण व प्रतिवादीगण कॉट केम्प ग्राम पंचायत निम्बी कंला में उपस्थित हुय वर्तमान स्थिति की जॉच मजमे आम में की गई। मौके पर प्रतिवादी संख्या एक के वारिसान 1/1 से 1/3 का खेत ख. न. 154 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा वाके सरदारपुरा कंला का कब्जा होने की पुष्टि मजमे आम मौजिज व्यक्तियों से की गई।

वादी व मजमे आम मौतबीरान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत ख. न. 154 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा वाके सरदारपुरा कंला में से 2/3 हिस्सा का भौतिक रूप से व वास्तविक रूप से कब्जा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 10 को प्रतिवादी नम्बर 01 के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3 से दिलाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3 को उपरोक्त खेत से बेदखल किया जाता है।तथा वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी नम्बर 01 के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3 के खिलाफ इस अमर की

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त व हिस्से की उक्त भूमि में किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। इसी अनुरूप डिकरी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार डीडवाना को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 ता 10 को मौके पर खेत ख. न. 154 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा वाके सरदारपुरा कंला में से 2/3 हिस्सा का कब्जा दिलाने हेतु तहरीर जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 19.06.2017 को कोर्ट कैम्प निम्बी कंला में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2013/259 दायरा दिनांक 19.12.2013

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. बशीर खॉं पुत्रफरीदखॉं 2. मुमताज पुत्र फरीद खॉं 3 रमजानखॉं पुत्र फरीद खॉं समस्त जाति कायमखानी निवासी :–सरदारपुरा कंला तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. फरीदखॉं पुत्र नथूखॉं 1/1 केशरबानो पत्नि फरीदखॉं 1/2 सतारखॉं पुत्र फरीदखॉं 1/3 मुबारिकखॉं पुत्र फरीदखॉं 2. हुसैनखॉं पुत्र फरीद खॉं 3. शोकतखॉं पुत्र फरीद खॉं 4. मुबारिकखॉं पुत्र अस्तअलीखॉं 5. रमजानखॉं उर्फ खान मोहम्मद पुत्र अस्तअलीखॉं 6. सबीरखॉं पुत्र अस्तअलीखॉं 7. शेर मोहम्मद पुत्र अस्तअलीखॉं 8. अब्दुलकादर पुत्र अस्तअलीखॉं 9. मोहम्मद हारून पुत्र अस्तअलीखॉं 10. समतूबानो पत्नि अस्तअलीखॉं समस्त जाति कायमखानी निवासी :–सरदारपुरा कंला तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 11. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
दिलाने कब्जा व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 19.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वादी व श्री. प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, खेत ख. न. 154 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा वाके सरदारपुरा कंला में से 2/3 हिस्सा का भौतिक रूप से व वास्तविक रूप से कब्जा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 10 को प्रतिवादी नम्बर 01 के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3 से दिलाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3 को उपरोक्त खेत से बेदखल किया जाता है।तथा वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी नम्बर 01 के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3 के खिलाफ इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त व हिस्से की उक्त भूमि में किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। तहसीलदार डीडवाना को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 ता 10 को मौके पर खेत ख. न. 154

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा वाके सरदारपुरा कंला में से 2/3 हिस्सा का कब्जा दिलाने हेतु तहरीर जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बराब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **19.06.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौ
डीडवाना

Scanned by CamScanner